

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र/2/16

जयपुर, दिनांक : १८/१/२०१७

—: आदेश :—

श्रीमती नम्रता अग्रवाल, कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, आई टी अनुभाग कर भवन (मुख्यालय), जयपुर जिनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 182/2012 व सेवानिवृत्ति दिनांक 28.2.2043 है, के आधार पर इस विभाग के आदेश क्रमांक प.17(1)साप्र/2/2016 दिनांक 22.9.2016 राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम-27 के प्रावधान के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु आवंटित राजकीय आवास संख्या एफ-707, गौधीनगर, जयपुर जिसके रथान पर राजकीय आवास संख्या एम-441, गौधीनगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है।

अनुभागाधिकारी
शासन संस्कारण विभाग
जयपुर

शर्तों :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास रथान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. रवय तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदरथापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास वा आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घाषणा करनी होगी।

1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदरथापित रहे हैं।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

४७

(इन्द्र सिंह राव)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी संचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
4. कांषाधिकारी, काष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
5. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन संचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशासी अभियन्ता, साठनीविं/जन स्वाठा अभिविं विं/जयपुर विविंनिगम लिं, गौधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्चा करावें।
8. संबंधित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि परिवर्तित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
9. निजी संचिव, प्रमुख शासन संचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव